



पत्रांक : सम्बद्धता/ 537
दिनांक : 10.05.2013

सचिव,
पैरामाउन्ट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी,
टटीरी, बागपत

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0-17/सत्तर-2-2013-2 (163)/2010, दिनांक 08.05.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन पैरामाउन्ट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, टटीरी, बागपत को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्वचित पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2013 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

01. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
 02. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अन्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
 03. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वास्तविक रूप से जानी जायेगी।
 04. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
- माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रणयना में कुलपति जी के आदेशानुसार पैरामाउन्ट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, टटीरी, बागपत को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अंतर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्वचित पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2013 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. कुलसचिव, प0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
4. प्रभारी, कर्मचारी सल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह सदभित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाइट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1888

दिनांक : 10.8.2016

सेवा में,

निदेशक,

पैरामाण्डल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी,
अग्रवाल मण्डी, टटीरी, बागपत।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.07.2016 का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके द्वारा आपने संस्थान में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित बी०एड० पाठ्यक्रम में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को प्रवक्ता पद पर अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है :-

S.N.	Name	Design	Qualification	Univ. Expert
1-	Parmod Kumar	Lecturer	M.Sc (Maths),,B.Ed.,M.Ed	Dr.Harendra D.J.College, Baraut, Dr.Anu Kumari N.A.S.College, Meerut
2-	Pragya Pandit	Lecturer	M.A.(Eng./Edu.),,B.Ed	—do—
3-	Shivom Kumar	Lecturer	M.A.(Eng.),,B.Ed.,M.Ed	—do—
4-	Anil Kumar Tondak	Lecturer	M.A.(Eco.),,B.Ed.,M.Ed	—do—
5-	Jagat Singh	Lecturer	M.A.(Pol.Sci.),,B.Ed.,M.Ed	—do—
6-	Preeti Sharma	Lecturer	M.Sc (Chem.),,B.Ed.,M.A.(Edu.)	—do—
7-	Kuldeep Kumar	Lecturer	M.Sc (Bot.),,B.Ed.,M.A.(Edu.)	—do—
8-	Suresh Singh Sisodia	Lecturer	M.A.(Eco.),,B.Ed.,M.Ed	—do—
9-	Anil Kumar Nim	Lecturer	M.A.(Hindi),,B.Ed.,M.Ed	—do—
10-	Pradeep Kumar Singh	Lecturer	M.Sc (Maths),,B.Ed.,M.Ed	—do—
11-	Shiwanand Pandey	Lecturer	M.A.(Hindi),,B.Ed.,M.Ed	—do—
12-	Sarvesh Mishra	Lecturer	M.A.(Eco.),,B.Ed.,M.Ed	—do—
13-	Deepak Sharma	Lecturer	M.A.(Drawing & Painting)	Dr.Jyotsana KLM, Meerut
14-	Km.Rukaiya	Lecturer	M.A.(Music)	Dr.Vandana Agarwal R.G.College, Meerut
15-	Dinesh Kumar	Lecturer	B.P.Ed.,M.P.Ed	Dr.D.C.Mahela A.S.College, Mawana

सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रवक्ता पद हेतु उपरोक्त अभ्यर्थियों की संस्तुति की गयी है। विषय विशेषज्ञ की संस्तुति एवं विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर कुलपति जी के आदेशानुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों को एन०सी०टीई० के मानकानुसार प्रवक्ता पद पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक की मृत्यु/त्यागपत्र/निष्कासन की दशा में विलम्बतम 15 दिनों में विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त संस्थान को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त चयनित अभ्यर्थी केवल एक ही संस्थान में कार्यरत रहेंगे अन्यथा की स्थिति में विश्वविद्यालय कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

प्रेषक,

सुबोध कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
बी० चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 01 मई, 2013

विषय:- बी०एड० पाठ्यक्रम सत्र 2013-14 में सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सम्बद्धता/3613, दिनांक 2.3.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित 30प्र० राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन पैरामाउन्ट इम्प्लाइड आफ एजुकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी, टटीरी, वागपत को स्नातक स्तर पर शिक्षा संक्रमण के अंतर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्वयंसेवक पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.7.2013 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बी०एड० पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अत्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन-पाठन कराया जायेगा।
- (3) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरंतरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।



गुरुर्गुरुतमो धाम
NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Northern Regional Committee

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)

उत्तर क्षेत्रीय समिति

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART - III, SECTION 4

F. NRC/NCTE/F-7/UP-3113/148 MEETING/2009/ 9417 Dated: 31st AUG 2009
ORDER

WHEREAS in terms of Section 14(1) of the NCTE Act, 1993 PARAMOUNT INSTITUTE OF EDUCATION & TECHNOLOGY, AGARWAL MANDI, TATIRI, POST OFFICE - TATIRI, BAGHPAT, U.P. has submitted an application (code No. APN07362) to the Northern Regional Committee of NCTE for grant of recognition/permission for starting B.Ed. course of One year duration with an annual intake of 100 (one Hundred) students on 23.9.2008.

2. AND WHEREAS on scrutiny/perusal of the application submitted by the institution, the documents attached therewith, the affidavit and the input received from the visiting team in the form of report and Videography, recommendation of the State Government, the Committee is satisfied that the institution/society fulfills the requirements under the provisions of NCTE Act, Rules and relevant Regulations including the Norms and Standards for the Secondary teacher education Programme such as Instructional facilities, infrastructural facilities, library, accommodation, financial resources, laboratory etc. for running the Programme and has selected/appointed duly qualified teaching staff as per NCTE norms.

3. NOW, THEREFORE, in exercise of the powers vested under Section 14(3) (a) of the NCTE Act, 1993, the Northern Regional Committee hereby grants recognition/permission to PARAMOUNT INSTITUTE OF EDUCATION & TECHNOLOGY, AGARWAL MANDI, TATIRI, POST OFFICE - TATIRI, BAGHPAT, U.P. for conducting B.Ed. Course of Secondary (level) of one year duration with an annual intake of 100 (One Hundred) students from the academic session 2009-2010 under clause 7(11) of NCTE Regulation, 2007 notified on 10-12-2007.

4. The institution shall, within one month of the receipt of recognition order, convert the endowment fund and reserve fund accounts into joint accounts to be operated along with an officer of the Northern Regional Committee.

5. The Institution shall comply with the various other norms and standards prescribed in the NCTE regulations, as amended from time to time.

6. The institution shall make admission only after it obtains affiliation from the examining body in terms of clause 8(12) of the NCTE Regulations, 2007 notified on 10-12-2007.

7. Further, the recognition is subject to fulfillment of all such other requirements as may be prescribed under relevant norms and standards of NCTE for other regulatory bodies like UGC, the State Government etc, wherever applicable.

8. The Institution shall submit to the Regional Committee a Self-Appraisal Report at the end of each academic year along the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant together with statement of T.D.S. in respect of the salary paid to the staff. A copy of the format is enclosed with the order.

पंचनाथ इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन
एड टेक्नोलॉजी, टटीरी (बागपत)

Cont...2

जोदल अधिकारी